



संदर्भ : एएआई/पीबी/वाणिज्यिक/हैंडबैग /2023-24/93

दिनांक: 05/03/2024

स्पीड पोस्ट

Speed- Post

सेवा मे/ To,

मैसर्स हाईडिजाइन इनिडा प्राइवेट लिमिटेड / M/s Hidesign India Private Limited,

इस्पहानी केंद्र/ Ispahani Centre,

123 / 124 नुंगमबक्कम हाई रोड /123/124 Nungambakkam High Road,

चेन्नई/ Chennai,

पिन- 600034 / Pin- 600034

विषय : पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर एसएचए, यूजीएफ में हैंडबैग और लगेज की दुकान के लिए रिटेल आउटलेट के लिए लाइसेंस का पुरस्कार।

Sub: Award of License for Retail Outlet for Handbag and Luggage Shop in SHA, UGF at Port Blair Airport.

प्रिय महोदय/Dear Sir,

हमें आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सक्षम प्राधिकारी ने इस ई-बोली संख्या 2024_AAI_181298_1, दिनांक 11.01.2024 के जवाब में "पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा पर हैंडबैग और लगेज की दुकान के लिए के लिए लाइसेंस" के लिए आपकी बोली स्वीकार कर ली है।

We are pleased to inform you that Competent Authority has accepted your bid for "LICENSE FOR RETAIL OUTLET FOR HANDBAG AND LUGGAGE SHOP IN SHA, UPPER GROUND FLOOR AT PORT BLAIR AIRPORT," in response to the E-bid No. 2024_AAI_181298_1, dated 11.01.2024.

निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार मैसर्स हाईडिजाइन इनिडा प्राइवेट लिमिटेड को 03 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है।/ The licence is hereby accorded to M/s Hidesign India Private Limited for a period of 03 Years as per the following terms & conditions:

1. यह आवंटन पत्र समझौते का एक हिस्सा होगा और इसे इस पत्र के जारी होने की तारीख से 07 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी द्वारा स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना होगा।
This award letter will be a part & parcel of agreement and it has to be submitted by the licensee by signing it as acceptance within 07 days from the date of issuance of this award letter.
2. बिजनेस इनक्यूबेशन अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिन है, बोलीदाता आवंटन पत्र की सभी औपचारिकताओं/शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।
Business Incubation Period is 15 days from the date of issuance of award letter, bidder will be under obligation to complete all the formalities /conditions of award letter.
3. 90 दिनों की गर्भाधान अवधि लागू है, जो बिजनेस इनक्यूबेशन अवधि की समाप्ति की तारीख से मानी जाएगी यानी आवंटन पत्र जारी होने के 16वें दिन से और आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 105 वें दिन समाप्त होगी।

Gestation period of 90 days is applicable, which will be reckoned from the date of expiry of Business Incubation Period i.e. from the 16th day of issue of award letter and expiring on the 105th day from the date of issue of award letter.

4. लाइसेंस 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। वाणिज्यिक बिलिंग व्यवसाय शुरू होने या निर्माण अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, शुरू होगी।

The licence will be valid for a period of **3 Years**. Commercial billing will start on commencement of business or expiry of gestation period, whichever is earlier.

5. लाइसेंस शुल्क एवं क्षेत्रफल, स्थान किराया आदि का विवरण इस प्रकार होगा:

The details of the licence fee & area, space rent, etc. will be as follows:

Name of the License and Area	Monthly Licence Fee	10 % Utility Charges on space rent	GST @ 18%	Monthly Payable Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
License for Retail Outlet for Handbag and Luggage Shop in SHA at Port Blair Airport. (SHA, UGF) 17 Sqm approx.	Rs.82,000/-Per Month.	Rs. 2,125/- [10 % on space rent of Rs.21,250/- for Financial Year 2023-24 (i.e. Rs. 1250/- x 17 sqm.)]	Rs.15,143/- (On applicable Monthly License Fee + Utility Charges)	Rs. 99,268/- (Rupees Ninety-Nine Thousand Two Hundred Sixty-Eight Only)

6. मौजूदा दरों पर जीएसटी और अन्य सभी लागू कर/लेवी/शुल्क लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त लाइसेंसधारी द्वारा देय होगा।

GST and all other applicable taxes/ levies / fees at the prevailing rates shall be payable by the licensee in addition to the licence fee.

7. लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त स्थान किराये पर 10% की दर से उपयोगिता शुल्क देय होगा। स्थान किराये के 7.5% की दर से या एएआई, सीएचक्यू द्वारा निर्धारित दरों पर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि हर साल 1 अप्रैल को लागू होगी या एएआई द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाएगी।

Utility charge @ 10% on space rent shall be payable in addition to licence fee by the licensee. Compound annual escalation @ 7.5% of space rent or at the rates prescribed by AAI, CHQ will be applicable on 1st April every year or revised by AAI from time to time.

8. लाइसेंसधारी को एएआई दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंसधारी नाम की ब्रांडिंग के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषी बोर्ड स्थापित करना होगा।

The Licensee shall install bilingual board both Hindi and English for branding licensee name as per AAI guidelines.

9. लाइसेंसधारी वास्तविक उपयोग के अनुसार बिजली की खपत और पानी के शुल्क का भुगतान करेगा।

The licensee shall pay the charges for the consumption of the electricity and water charges as per actual usage.

10. लाइसेंस शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख या उससे पहले अग्रिम रूप से किया जाता है।

The license fee is payable by the licensee in advance on or before 25th day of each month.

11. एएआई हर महीने की 10 तारीख को या उससे पहले बिल जारी करेगा। रियायतग्राही को उसी महीने की 25 तारीख तक लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर विलंबित भुगतान पर 9% प्रति वर्ष की दर से नियत तारीख से 30 दिनों तक की देरी अवधि के लिए ब्याज लिया जाएगा और यदि देरी होती है 30 दिनों से अधिक के लिए है, तो प्राधिकरण के अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियत तिथि से संपूर्ण विलंब अवधि के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा। एल/एफ के भुगतान के लिए चालान/बिल की प्रतीक्षा करना अनिवार्य नहीं है।

AAI shall raise bill on or before 10th of every month. The concessionaire has to make the payment of License Fees etc. by 25th of the same month, failing which interest on delayed payment at the rate of 9% per annum shall be charged from the due date for delay period of upto 30 days and if delay is for more than 30 days, then interest at the rate of 18% per annum shall be charged from the due date, for entire delay period without prejudice to the Authority's other rights and remedies. For payment of L/F, waiting for invoice/bills is not mandatory.

12. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अग्रिम लाइसेंस शुल्क अर्थात् रु. 99,268/- (निन्यानबे हजार दो सौ अड़सठ रुपये मात्र) लागू जीएसटी सहित मौजूदा दरों पर का भुगतान करना होगा।

Payment of advance license fee i.e. **Rs. 99,268/- (Rupees Ninety-Nine Thousand Two Hundred Sixty-Eight Only)** inclusive of applicable GST at the prevailing rates is payable by the licensee within 15 days from the date of issue of this award letter.

13. लाइसेंसधारी से चार महीने की लाइसेंस फीस के बराबर सुरक्षा जमा राशि यानी रु. 3,97,072/- (मात्र तीन लाख सत्तानबे हजार बहत्तर रुपये मात्र) [अर्थात् रु. 99,268/- x 4 महीने] आवंटन पत्र की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करने का अनुरोध किया जाता है। राशि केवल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में पोर्ट ब्लेयर में देय राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के भुगतान आदेश/आरटीजीएस/एनईएफटी/बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जाएगी। सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक से बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैंक गारंटी अनुबंध की अवधि के दौरान और उसके बाद 06 महीने तक वैध रहेगी। सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है। बैंक गारंटी एसएफएमएस सिस्टम सत्यापन योग्य होगी।

The licensee is requested to deposit an amount equal to Four months licence fees, i.e. **Rs. 3,97,072/- (Rupees Three Lakh Ninety-Seven Thousand Seventy-Two Only) [i.e. Rs. 99,268/- x 4 months]** within 15 days from the date of award letter. The security deposit will be accepted only in the form of RTGS/NEFT/Bank Guarantee of a nationalized /scheduled bank in favour of Airports Authority of India, payable at Port Blair. Bank Guarantee from Cooperative Bank or Gramin Bank will not be accepted. The Bank Guarantee shall be valid during the currency of contract and 06 months thereafter. No interest is payable on Security Deposit. Bank Guarantee shall be SFMS system verifiable as per attached format.

14. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन पत्र की तारीख से 15 दिनों के भीतर बिजली/पानी आदि के लिए आवश्यक सुरक्षा जमा राशि 59,561/- (रुपये उनसठ हजार पांच सौ इकसठ रुपये मात्र) के रूप में देय है।
The Security Deposit for Electricity is Rs. 59,561/- (Rupees Fifty-Nine Thousand Five Hundred Sixty-One Only) as Security Deposit required for Electricity / Water etc within 15 days from the date of award letter.
15. लाइसेंसधारी को आवंटित काउंटर का उपयोग विशेष रूप से उन सेवाओं के उद्देश्य के लिए करने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है, किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।
The licensee shall be allowed to use the allotted counter exclusively for the purpose of services for which it is allotted and not for any other purpose under any circumstances.
16. लाइसेंसधारी से अनुरोध है कि वह इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में साइट हैंडओवर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर एएआई और पार्टी द्वारा संयुक्त माप किया जाएगा। संयुक्त माप समझौते का एक हिस्सा बनेगा।
The licensee is requested to submit site take over report at this office within 15 days from the date of issue of this award letter. The joint measurement would be carried out by AAI and the party within 15 days from the date of issue of this award letter. The joint measurement would form a part of the agreement.
17. इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी से रुपये 100/- गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (अंडमान एवं निकोबार (यू.टी.)) पर लाइसेंस समझौते के निष्पादन के लिए अनुरोध किया जाता है। स्टाम्प पेपर की लागत जो लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी।
The licensee is requested for execution of Licence Agreement on Rs. 100/- non-judicial stamp paper of Andaman & Nicobar (U.T.) only within 15 days from the date of issue of this award letter. The cost of stamp paper which will be borne by the licensee.
18. लाइसेंसधारी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए दुकान का एक लेआउट प्लान प्रस्तुत करना आवश्यक है।
The licensee is required to submit a lay-out plan of the shop for approval of the Competent Authority.
19. लाइसेंसधारी समय-समय पर लागू श्रम कानूनों के सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा।
The licensee shall abide by all the rules and regulation of Labour Laws applicable from time to time.
20. लाइसेंसधारी द्वारा लागू शुल्क के भुगतान पर बीसीएस के दिशानिर्देशों के अनुसार हवाईअड्डा प्रवेश पास जारी किए जाएंगे।
Airport Entry Passes will be issued as per guidelines of BCAS on payment of applicable charges by the licensee.
21. लाइसेंसधारी अपने खर्च पर फायर अलार्म सिस्टम सहित सभी इलेक्ट्रिक फिटिंग, इंस्टॉलेशन और ऐसे अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों का रखरखाव करेगा जो उक्त परिसर में प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं या इसके बाद उक्त परिसर में उक्त प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं।
The Licensee shall maintain at his own cost all the electric fittings, installations and such other electric equipment's including Fire Alarm System as may be provided by the Authority in the said premises or as may hereafter be provided by the said Authority in the said premises.

22. लाइसेंसधारी उस परिसर का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंसधारी प्राधिकरण से लिखित पूर्व अनुमति के बिना उक्त परिसर में किसी अन्य प्रकार का विज्ञापन या साइनबोर्ड नहीं लगाएगा या प्रदर्शित नहीं करेगा।

The Licensee shall not use the premises for any purpose other than that for which the licence has been granted. The Licensee shall not erect or display any other type of advertisement or signboards upon the said premises without prior permission in writing from the Authority.

23. लाइसेंसधारी से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह लाइसेंस शुरू होने से पहले उक्त लाइसेंस के लिए नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के नाम सूचित करे।

The licensee is also requested to intimate the names of the persons to be employed for the said licence before commencement of the licence.

24. यह आवंटन पत्र लाइसेंस समझौते का एक अभिन्न अंग होगा जो दोनों पक्षों, यानी लाइसेंसधारी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बाध्य करेगा।

This award letter will be an integral part of licence agreement binding both the parties, i.e. the licensee and Airports Authority of India.

25. अन्य सभी नियम एवं शर्तें एनआईटी के अनुसार होंगी।

All other terms & conditions will be as per NIT.

Thanking you,

सादर/Regards,

C.R. Ranjan
05.03.2024

चंद्र प्रकाश रंजन / Chandra Prakash Ranjan
सहायक प्रबंधक(वाणिज्यिक)/AM (Commercial)
कृते विमानपत्तन निदेशक/for Airport Director

प्रतिलिपि:

सं.म.प्र.(वाणिज्य), (पू.क्षे.)

Copy to:

Jt.GM (Comml.), ER

आंतरिक प्रतिलिपि:

एपीडी/डीजीएम (ई-ई)/सं.म.प्र.(ई-सी)/एजीएम(फिन)/एएम(ऑपरेशन)/सीएसओ

Internal Copy to:

APD/ DGM (E-E)/Jt.GM (E-C) /AGM(Fin.)/AM (Ops.)/CSO

Annexure K. Appendix II

Request Letter: Transmission of Bank Guarantee Cover Message<to be submitted by
applicant to BG issuing bank>

Date: _____

The Manager,

(Bank),

(Branch)

Sub: **Inclusion of unique identifier code of AAI while transmitting BG cover messages where beneficiary bank is ICICI Bank (IFSC – ICIC0000007).**

Dear Sir/Ma'am,

I/We, _____, request you to include unique identifier _____ in field 7037 of the SFMS cover messages IFN COV 760 (for BG issuance) and IFN COV 767 (for BG amendment) while transmitting the same to the beneficiary bank (ICICI Bank- IFSC- ICIC0000007).

Thanking You,

(Vendor/Customer/Concessionaire)



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India

Ref. No. AAI/PB/FIN/Rev./Bank-details/

Dated: 11.09.2023

Subject: Bank Details for payment through RTGS/NEFT mode

The details of the bank Account for payment to Airport Authority of India, VSI Airport Port Blair, RTGS or NEFT mode are as follows.

STATE BANK OF INDIA

Beneficiary Name	AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
GSTIN	35AAACA6412D1ZB
Bank A/c Number	32354798837
Name of Bank	STATE BANK OF INDIA
Branch Address	Rakshavihar Branch, Port Blair
IFSC Code	SBIN0008721
PAN	AAACA6412D
Payment Intimation	finvopb@aaai.acro

Agency may make payment through the aforesaid bank account.

Thanks & Regards

P. G. 11/09/2023.

PARTHA MISTRY
Asst. GM (F&A)
VSI Airport, Port Blair.